

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक: 10369

/यू.पी. रेरा/प्रशा.प्रको./2026-27

दिनांक: 24 सितम्बर, 2026

कार्यालय-आदेश

ज्ञातव्य है कि उक्त कार्यालय-आदेश द्वारा नेशनल कम्पनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में आई.बी.सी. की धारा-31 के अन्तर्गत सी.आई.आर.पी. की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात उक्त आदेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका में 07 मूल प्रमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के विरुद्ध प्राधिकरण में लम्बित शिकायतों की सुनवाई तथा आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही को अबेट (Abate) किया गया था।

उक्त प्रमोटर के विरुद्ध प्राधिकरण में लम्बित शिकायतों की सुनवाई तथा आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही को किस तिथि से अबेट माना जायेगा, की स्थिति स्पष्ट न होने के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 18-04-2026 (प्रति संलग्न) के तालिका में उल्लिखित 07 मूल प्रमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के विरुद्ध प्राधिकरण में पंजीकृत केवल वे शिकायतें एवं आदेशों के निष्पादन की कार्यवाही ही "अबेट" (समाप्त) मानी जायेंगी, जो सम्बन्धित रिजॉल्यूशन प्लान की स्वीकृति की तिथि (तालिका के स्तम्भ-4 में इंगित तिथि) से पूर्व प्राधिकरण के समक्ष संस्थित/दायर की गयी थीं।

उक्त स्वीकृति तिथि के पश्चात् संस्थित की गयी अथवा भविष्य में प्राप्त/दायर होने वाली किसी भी शिकायत पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

उपर्युक्त कार्यालय-आदेश दिनांक 18-04-2026 के शेष समस्त अंश यथावत प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश उपर्युक्त मूल प्रमोटर्स के विरुद्ध धारा-31 के अन्तर्गत प्राधिकरण में पंजीकृत शिकायतों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाये तथा सम्बन्धित पक्षकारों को सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए।

A
(महेन्द्र वर्मा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को मा. अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ कृपया।
2. समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ कृपया।
3. न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा लखनऊ, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. संयुक्त सचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. उप सचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. राजस्व (रिकवरी) अधिकारी मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
7. प्राधिकरण के मा. पीठों से सम्बद्ध समस्त लॉ-क्लर्क सह रिसर्च सहायक को अनुपालनार्थ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को उक्तानुसार आदेश प्राधिकरण के पोर्टल पर प्रदर्शित करने तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु।

29/05/26
(कृष्ण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान नवीन भवन,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 3618/सू.पी. रेस/प्रशा./2026-27

दिनांक: 18 अप्रैल, 2026

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 179वीं बैठक दिनांक 31.07.2025 के एजेण्डा बिन्दु-179.07.अन्य. 02 पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा. एनसीएलटी द्वारा आई.बी.सी. की धारा-30 के अन्तर्गत मूल प्रमोटर (कॉर्पोरेट डेटर) के सम्बन्ध में सक्सेजफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकान्ट का सी.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप मूल प्रमोटर (कॉर्पोरेट डेटर) के विरुद्ध प्राधिकरण में लम्बित शिकायतों की सुनवाई तथा आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही को प्राधिकरण के एकल आदेश द्वारा अवेट कर दिया जाएगा।

तत्क्रम में नेशनल कम्पनी लॉ ट्राईब्यूनल में आई.बी.सी. की धारा-31 के अन्तर्गत निम्नलिखित 07 मूल प्रमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के मामलों में सी.आई.आर.पी. की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सम्यन्धित समस्त 07 मूल प्रमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के विरुद्ध संलग्नक 01 लगायत 07 में निहित विवरण के अनुसार प्राधिकरण में लम्बित शिकायतों की सुनवाई तथा आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही को एतद्वारा अवेट किया जाता है:-

क्र.स.	मूल प्रमोटर	धारा-7 के आदेश की तिथि	सक्सेजफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकेंट (कम्पनी)
1	स्पार्कस्पेल होम्स प्रा.लि. (पूर्व नाम प्रापलारिटी होम्स प्रा.लि.)	28.08.2019	16.05.2024
2	के.वी. डेवलपर्स प्रा.लि.	28.10.2020	17.04.2023
3	मंजू जे होम्स इण्डिया प्रा.लि.	02.09.2019	11.06.2024
4	बुलैन्ड बिल्डटेक प्रा.लि.	22.03.2021	09.07.2024
5	कलरसिटी होम्स प्रा.लि.	02.03.2023	14.06.2024
6	क्लेरियॉन टाउनशिप्स प्रा.लि.	03.05.2021	04.07.2024
7	सर्वोत्तम रियलकॉन प्रा.लि.	09.07.2021	30.07.2024

यह आदेश उपरोक्त मूल प्रमोटर्स के विरुद्ध संलग्नक 01 लगायत 07 के अनुसार प्राधिकरण में धारा-31 के अन्तर्गत पंजीकृत शिकायतों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाए और प्रक्रियाओं को सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए।

(महेन्द्र वर्मा)

सचिव